17/5/22 पत्रावली पेश हुई ... साथ मे आज ... कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/5/22 को पेश हो।

24/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकलाय ... I.P.O. सा. दौर पर ... आदेशानुसार दिनांक 9/6/22

9/6/2022 पत्रावली आज बरते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने भी उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। अतः खातेदारान, पडौसी खातेदारान व उभयपक्षकारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बावत् पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम कैरवाली तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 736 जिसके बाद विभाजन बने खसरा नंबर 952/736 रकबा 0.4587 हैक्टे., खसरा नंबर 953/736 रकबा 0.4587 हैक्टे., खसरा नंबर 954/736 रकबा 0.4587 हैक्टे., खसरा नंबर 955/736 रकबा 0.4587 हैक्टे. की उभयपक्षकारान व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद पुनः सीमाज्ञान कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान उक्त खसरा नम्बरान की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी